39–(08)–28–2015

पटना में दिनांक–22 अगस्त, 2015 शनिवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कृषि विभाग

1.	बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत योजना मद में स्वीकृत कृषि एवं उद्यान, महाविद्यालयों के लिए स्थापना से संबंधित वेतनादि के लिए वर्ष 2015–16 में कुल 2635.76 लाख रूपये (छब्बीस करोड़ पैंतीस लाख छिहत्तर हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति।	1.	**स्वीकृत।**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

2.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में पहचान किये गये पात्र व्यक्तियों/परिवारों को लक्षित जन वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्धारित मात्रा एवं दर पर खाद्यान्न की आपूर्ति, अन्नपूर्णा योजना में खाद्यान्न की आपूर्ति एवं किरासन तेल वितरण सुनिश्चित करने हेतु बिहार राशन कूपन एवं किरासन तेल कूपन योजनान्तर्गत राशन कूपन एवं किरासन कूपन उपलब्ध कराने हेतु 17.06 करोड़ रू० व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में।	2.	**स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

3.	बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (BISPS) अंतर्गत सभी प्रखंडों एवं जिला में लेखा संधारण व्यवस्था सुदृढ़ीकरण हेतु जिला स्तर पर प्रखंडों के अनुसार 38 जिला अंकेक्षण प्रबंधक, 38 जिला वित्त प्रबंधक, 04 जिला सहायक अंकेक्षण प्रबंधक (वैसे जिले जहाँ प्रखण्डों की संख्या 20 से अधिक है), 04, जिला सहायक वित्त प्रबंधक (वैसे जिले जहाँ प्रखंडों की संख्या–20 से अधिक है), 65 अंकेक्षण सहायक एवं 65 लेखा सहायक के पदों पर अनुबंध के आधार पर छः वर्ष के लिए नियोजन हेतु कुल 214 पदों के सृजन किये जाने, इनके मानदेय पर होने वाले व्यय की स्वीकृति एवं प्रखंड स्तर पर लेखापाल का कार्य इंदिरा आवास के तहत कार्यरत लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) से तीन माह का Tally का प्रशिक्षण देकर प्रति लेखा सहायक उनके मानदेय में 1000/–रूपये प्रति माह बढ़ोत्तरी कर इन कर्मियों (लेखा सहायक) का मानदेय भुगतान इस परियोजना से करने की स्वीकृति के संबंध में।	3.	**स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

4.	बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना के द्वारा विश्व बैंक अनुदान संपोषित FMIS II योजना के अंतर्गत चिन्हित कुल आठ अदद पदों पर कार्यरत विशेषज्ञों/परामर्शियों की सेवायें संविदा के आधार पर पूर्व के सेवा शर्त्तों के अनुसार जारी रखने हेतु इन पदों को अस्थायी तौर पर सृजित करते हुए राज्य योजना मद में भारित करने तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में (01 जून 2015 से 31 मार्च 2016 तक) उनके मानदेय भुगतान हेतु रू० 35,00,000 (रू० पैंतीस लाख) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।	4.	**स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

5.	भोजपुर जिलान्तर्गत अगिआँव अंचल के मौजा–अगिआँव, थाना नं०–337, खाता सं०–381, खेसरा सं०–121, रकबा–0.50 एकड़ (पचास डिसमिल) जल संसाधन विभाग, बिहार की भूमि राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु 20,000/–रू० प्रति डिसमिल के दर से 10,00,000/–रू० सलामी एवं सलामी का 2 प्रतिशत वार्षिक लगान का 25 गुणा अर्थात 5,00,000/–रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 15,00,000/–रू० (पन्द्रह लाख) के भुगतान पर साउथ बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	5.	**स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

6.	औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर थर्मल पावर परियोजना हेतु हस्तांतरित गैर मजरूआ मालिक भूमि कुल रकवा–33.665 एकड़ में से रैयतीकरण के उपरान्त रैयतीकृत रकवा–03.00 एकड़ भूमि को हस्तांतरण अधिसूचना से मुक्त करने के संबंध में।	6.	**स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

7.	बिहार बाल विकास सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2015 के गठन की स्वीकृति के संबंध में।	7.	**स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

8.	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना को वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण के लिए सहायक अनुदान के रूप में बजट उपबंधित राशि कुल रू० 10,77,93,000/–(दस करोड़ सतहत्तर लाख तेरानबे हजार) मात्र के विरूद्ध तत्काल सहायक अनुदान वेतन मद में 3,49,00,000/–(तीन करोड़ उन्चास लाख) मात्र तथा वेतन आदि के अलावा मद में रू० 2,00,00,000/–(दो करोड़) मात्र अर्थात तत्काल 5,49,00,000/–(पांच करोड़ उन्चास लाख) मात्र का सहायक अनुदान स्वीकृति के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

9.	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के संयुक्त उपक्रम बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली 1699.36 करोड़ की योजना की स्वीकृति तथा इस योजना के लिए बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के हिस्सा पूँजी की कुल 170.00 करोड़ रूपये की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में वर्त्तमान में प्रावधानित राशि में से तीन त्रैमासिक किस्त की राशि 57.50 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

10.	राज्य योजनान्तर्गत राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण के 10वीं एवं 11वीं योजना में खराब एवं जले 10/16/25/40 के०भी०ए० के वितरण ट्रान्सफार्मर को उच्च क्षमता से बदलने हेतु नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की 217.37 करोड़ रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की 116.12 करोड़ रूपये कुल 333.49 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल ट्रान्सफार्मरों की जिलावार सूची में आवश्यकतानुसार ट्रांसफॉर्मरों की संख्या में परिवर्त्तन करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	10.	स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

11.	भारत सरकार के पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (PSDF) के तहत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के 6 (छः) ग्रीड उपकेन्द्रों में सुरक्षा (Protection) एवं नियंत्रण प्रणाली (Control System) के उन्नयन (Up gradation) करने की 71.35 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में इस योजना के नोडल एजेंसी के माध्यम से सीधे बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को प्राप्त करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	11.	स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

12. बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० के अनुषंगी कम्पनियों की 9502.59 करोड़ रूपये (नौ हजार पाँच सौ दो करोड़ उनसठ लाख रूपये) की स्वीकृति विभिन्न परियोजनाओं का कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा राशि की विमुक्ति नहीं होने की स्थिति में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रव्यूशन कम्पनी लि०, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कम्पनी लि०, एवं बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं उससे आगे के वर्षों में राज्य बजट में बी०आर०जी० ऊर्जा के अन्तर्गत निवेश के रूप में पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत प्रावधानित राशि से आवश्यक राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति एवं कालान्तर में भारत सरकार द्वारा उक्त योजना अन्तर्गत राशि की विमुक्ति होने पर पूर्व स्वीकृत प्रक्रिया के अनुरूप राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में 300.00 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने के संबंध में। **12. स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

13. राष्ट्रीय सम–विकास योजना के तहत संचरण/उप संचरण योजनाओं के चरण–II भाग–I के अन्तर्गत स्वीकृत 220 के०भी० बेगूसराय–पूर्णिया द्विपथीय 183 किलामीटर संचरण लाइन के निर्माण के पुनरीक्षित लागत 97.21 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **13. स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

14. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के अंतर्गत 132/33 के०भी० ग्रिड उपकेन्द्र करबिगहिया से गौरीचक तक द्विपरिपथ 132 के०भी० ट्रान्समिशन लाइन का निर्माण, गौरीचक LILO Point से गौरीचक ग्रिड तक रिकन्डक्टरिंग तथा करबिगहिया ग्रिड उपकेन्द्र में दो अदद 132 के०भी० हाइब्रिड 'बे' के निर्माण की 42.26 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **14. स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

15.	राज्य के बक्सर जिला के अन्तर्गत चौसा में बक्सर बिजली कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड की कोयला आधारित 2x660 मेगावाट (1320 मेगावाट) की विद्युत परियोजना हेतु समझौता ज्ञापन, जिसकी अवधि विस्तार दिनांक–17.01.2015 को समाप्त हुई है उसके अवधि विस्तार दिनांक–17.01.2015 से 5 वर्ष यथा 17.01.2020 तक किये जाने की स्वीकृति एवं बक्सर विद्युत परियोजना के लिए निर्धारित एजेन्सी सतलज जल विद्युत निगम से MOU की शर्त्तो के अनुरूप कुल 363.26 करोड़ रूपये की राशि बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड के खाते में प्राप्त करते हुए बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा इस राशि में से आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के द्वारा उपलब्ध कराये गये राशि 119.75 करोड़ रूपये का 5 प्रतिशत सेवाशुल्क (6 करोड़ रूपये) सहित कुल 125.74 करोड़ रूपये की राशि आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को वापस करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	15.	स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

16.	बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के अंतर्गत पटना जिला के बिहटा में 2x150 तथा 2x50 एम०भी०ए० क्षमता का 220/132/33 के०भी० नये ग्रिड का निर्माण एवं संबंधित संचरण तथा डाउनलिंकिंग लाइन के निर्माण हेतु स्वीकृत 99.65 करोड़ रूपये की योजना के पुनरीक्षित लागत 135.48 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	16.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

17.	शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका एवं समय–समय पर प्राप्त होने वाले दिशानिर्देशों के आलोक में राज्य में Smart City योजना के कार्यान्वयन एवं मार्गदर्शिका के प्रावधानों के आलोक में राज्यांश के व्यय की सैद्धांतिक सहमति का प्रस्ताव।	17.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

18.	नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों में गैर योजनान्तर्गत रूपये 53057820 (पाँच करोड़ तीस लाख सन्तावन हजार आठ सौ बीस रूपये) मात्र के अनुमानित वार्षिक आवर्ती लागत व्यय पर 152 नगर प्रबंधकों का पद–सृजन के संबंध में।	18.	स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

19. भवन निर्माण विभाग के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु गठित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की कार्य अवधि सहित अधीनस्थ पदों का अगले एक वर्ष (अर्थात 01 जुलाई, 2015 से 30 जून, 2016) तक अवधि विस्तार के संबंध में। — 19. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

20. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० के अन्तर्गत राजधानी पटना एवं समीपर्ती क्षेत्रों की विद्युत आवश्यकता के अनुरूप संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यरत 50 एम०भी०ए० ट्रांसफार्मरों को 80 एम०भी०ए० क्षमता वाले ट्रांसफार्मर से बदलने एवं 132 के०भी० संचरण लाइनों की वहन क्षमता में वृद्धि की 226.25 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में 1.00 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं०लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 20. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

21. इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई०पी०डी०एस०) के अंतर्गत राज्य के 139 शहरी क्षेत्रों में से 6 वितरण फ्रेन्चाईजी क्षेत्र छोड़कर शेष 133 शहरी क्षेत्रों में 24x7 विद्युत उपलब्धता, ए०टी०एण्डसी० हानि कम करने एवं सभी बसावटों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्ति करने हेतु नोडल एजेंसी पी०एफ०सी० द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के लिए 1058.00 करोड़ रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के लिए 1042.50 करोड़ रूपये की अनुमोदित योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 2100.50 करोड़ रूपये का 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी पी०एफ०सी० के माध्यम से अनुदान स्वरूप, 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूँजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलबध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति तथा नये शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक भूखण्ड के क्रय में आने वाले वास्तविक व्यय की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति एवं पी०एफ०सी०, बिहार सरकार एवं वितरण कम्पनियों के बीच त्रिपक्षीय एकरारनामा करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 में 10.00 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 21. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

22. दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग कृषि फीडर के निर्माण, वितरण एवं उप संचरण लाईन सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण तथा मीटरीकरण करने हेतु नोडल एजेंसी आर॰ई॰सी॰ द्वारा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के लिए 3394.10 करोड़ रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के लिए 2433.13 करोड़ रूपये की अनुमोदित योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 5827.23 करोड़ रूपये का 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी आर०ई०सी० के माध्यम से अनुदान स्वरूप, 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूंजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति तथा नये शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक भू–खंड के क्रय में आने वाले वास्तविक व्यय की शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति एवं आर०ई०सी०, बिहार सरकार तथा वितरण कम्पनियों के बीच त्रिपक्षीय एकरारनामा करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 में 10.00 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

22. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

23. बी०आर०जी०एफ० (स्पेशल प्लान) के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के विद्युत उप संचरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण फेज–III के अधीन एन–1 अनुपालन की 291.84 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के बदले पुनरीक्षित लागत 371.98 करोड़ रूपये जिसका मुख्य कारण उदाकिशनगंज–सोलवर्सा लाईन, दलसिंहसराय–कुशेश्वरस्थान एवं करपी–गोह संचरण लाईन की लम्बाई में वृद्धि है, की योजना की स्वीकृति एवं इस परियोजना के पुनरीक्षित लागत के अन्तर की राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में राज्य योजना से वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 के बीच उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने के सबंध में।

23. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

24. 12वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत 10 जिलों के लिए 1414.03 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित लागत 1663.65 करोड़ रूपये एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत 17 जिलों के लिए 3806.62 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित लागत 4633.88 करोड़ रूपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं अन्तर की कुल राशि 1076.88 करोड़ रूपये राज्य योजना से दोनों वितरण कम्पनियों को उपलब्ध कराने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 में 10.00 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

24. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

25. बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के दोनों यूनिटों (2x110MW) का Renovation एवं Modernization के उपरांत Pre-Commissioning Expenses हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में 81.01 करोड़ (इक्यासी करोड़ एक लाख) रूपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

25. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

26. बरौनी ताप विद्युत गृह विस्तार परियोजना 2x250 मेगावाट के निर्माण की स्वीकृति अनुमानित लागत 3707.00 करोड़ रूपये के बदले पुनरीक्षित लागत 5308.07 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं पुनरीक्षित लागत में पुनरीक्षित हिस्सा पूँजी के रूप में 1179.60 करोड़ रूपये के बदले 1592.42 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

26. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

27. बुनकर ऋण माफी योजना से संबंधित उद्योग विभाग का राज्यादेश संख्या–4411 दिनांक–04.12.2014 की कंडिका (ख) में संशोधन का प्रस्ताव।

27. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

28. राज्य के दो जिलों सुपौल एवं पश्चिमी चम्पारण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पी०पी०पी० मोड पर World Bank संपोषित 39.49 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर लघु सौर ग्रीड की स्थापना करने की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार के हिस्से की 9.48 करोड़ रूपये की राशि राज्य योजना से काउन्टर पार्ट फंडिंग के तहत नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

28. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

29. समेकित बाल विकास सेवा (आई॰सी॰डी॰एस॰) योजना के अंतर्गत संविदा पर नियुक्त महिला पर्यवेक्षिका, ऑगनवाड़ी सेविका एवं ऑगनवाड़ी सहायिका की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु की स्थिति में उनके निकटतम आश्रिम को 4 लाख (चार लाख) रूपये अनुग्रह अनुदान देने हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम/अनुपूरक आगणन के माध्यम से ₹ 1,00,00,000/-(₹ एक करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

29. **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग

30. आई०सी०डी०एस० योजना के अंतर्गत ऑगनवाड़ी सेविका/सहायिका को 25 प्रतिशत राज्य भत्ता सहित वर्द्धित दर पर मानदेय (राज्य भत्ता–राज्यांश) के भुगतान हेतु 70,06,31,575 रू० (सत्तर करोड़ छः लाख इकतीस हजार पाँच सौ पचहत्तर रू०) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

30. **स्वीकृत।**

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

31. बिहार महादलित विकास मिशन के तहत् महादलित विकास मिशन की योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग के लिए कार्यरत विकास मित्रो का मानदेय ₹ 7000/- प्रतिमाह से बढ़ाकर एक अगस्त, 2015 से ₹10000/- प्रतिमाह करने की स्वीकृति एवं विकास मित्र के आकस्मिक मृत्यु के मामले में 36 माह के मानदेय के बराकर अनुदान के अतिरिक्त ₹ 4,00,000/- (चार लाख रू० मात्र) विकास मित्र के आश्रित को भुगतान की स्वीकृति तथा विकास मित्रों से कार्य लेने की अधिकतम उग्र सीमा 60 वर्ष करने की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

31. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

32. जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंताओं (असैनिक/यांत्रिक) की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को एकमुश्त रू० 4,00,000/-(चार लाख रूपये) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान करने की स्वीकृति।

32. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

33. वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार द्वारा 11882.89 करोड़ रूपए बाजार ऋण सहित कुल 18758.76 करोड़ रूपए के ऋण उगाही की स्वीकृति। — 33. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

34. पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं के द्वारा नियोजित शिक्षकों के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को एकमुश्त ₹ 4,00,000/–(चार लाख रूपये) अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान करने की स्वीकृति। — 34. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

35. गोपालगंज जिलान्तर्गत फुलवरिया प्रखण्ड पंचायत चूड़ामनचक अन्तर्गत सेलारकला में उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्थापना की स्वीकृति के संबंध में। — 35. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

36. वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को नियत वेतन के मद में आवंटित राशि से संकल्प संख्या–1530 दिनांक–11.08.2015 में किये गये प्रावधानानुसार वेतनमान देने की स्वीकृति के संबंध में। — 36. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

37. पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं के द्वारा नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को एकमुश्त ₹ 4,00,000/–(चार लाख रूपये) अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान करने की स्वीकृति। — 37. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

38. मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोईया–सह –सहायक को राज्य भत्ता के रूप में राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत राशि बढ़ोतरी के संबंध में प्रस्ताव की स्वीकृति। — 38. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

39. मध्याह्न भोजन योजना के कार्यरत रसोईया–सह –सहायक को सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को एकमुश्त 4,00,000/–(चार लाख) रू० का अनुग्रह अनुदान राशि देने के प्रस्ताव की स्वीकृति। — 39. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

40.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजनान्तर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेतर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के मार्च, 2015 से फरवरी, 2016 तक के लिए वेतनादि/पेंशनादि के साथ–साथ जनवरी, 2015 से फरवरी, 2015 की अवधि के लिए बकाये महंगाई भत्ता/महंगाई राहत भुगतान के लिए कुल रूपये 2022,26,75,639/– (दो हजार बाईस करोड़ छब्बीस लाख पचहत्तर हजार छः सौ उनचालीस) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति तथा माह मार्च, 2015 से मई, 2015 तक के लिए स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रूपये 463,48,80,378/– (चार सौ तिरेसठ करोड़ अड़तालीस लाख अस्सी हजार तीन सौ अठहत्तर) मात्र का सामंजन एक मुश्त करने की स्वीकृति के संबंध में।	**40. स्वीकृत।**

लघु जल संसाधन विभाग

41.	लघु जल संसाधन विभाग द्वारा संविदा पर पुनर्नियोजित एवं कार्यरत कनीय अभियंता के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को एकमुश्त रू० 4,00,000/–(चार लाख रूपये) अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान करने के संबंध में।	**41. स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

42.	भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंताओं (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को एकमुश्त रू० 4,00,000/–(चार लाख रूपये) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान करन की स्वीकृति।	**42. स्वीकृत।**

सूचना प्रावैधिकी विभाग

43.	संविदा पर सभी नियोजित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक/आई०टी० सहायक/ आई०टी० मैनेजर की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को ₹4,00,000.00 (चार लाख) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।	**43. स्वीकृत।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

44.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) का सेवा काल में मृत्यु होने पर एकमुश्त 4,00,000 (चार लाख) रूपया की अनुग्रह अनुदान राशि देने की स्वीकृति के संबंध में।	**44. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

45. स्वास्थ्य विभाग तथा राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत अनुबंध पर कार्यरत सभी चिकित्सकों (आयुष एवं दंत चिकित्सकों सहित) तथा ममता कार्यकर्त्ता (स्वैच्छिक कार्यकर्त्ता) की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को राज्य सरकार द्वारा चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि देने संबंधी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 45. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

46. स्वास्थ्य विभाग तथा राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत आशा (ASHA- Accredited Social Health Activist) एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अनुबंध पर नियुक्त चिकित्सक की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को राज्य सरकार द्वारा योजना अन्तर्गत 4.00 लाख (चार लाख) रूपये अनुग्रह अनुदान की राशि देने संबंधी स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में। — 46. स्वीकृत।

कृषि विभाग

47. किसान सलाहकार का मानदेय दिनांक–01.08.2015 के प्रभाव से 6000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 8000 रूपये प्रतिमाह करने तथा किसान सलाहकार योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में 781269282.00 रू० (अठत्तर करोड़ बारह लाख उनहत्तर हजार दो सौ बेरासी रू० मात्र) व्यय एवं सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को चार लाख रूपये अनुग्रह अनुदान दिये जाने की स्वीकृति। — 47. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

48. राज्य के असंगठित क्षेत्र के कामगारों एवं शिल्पकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य योजनान्तर्गत "बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" की वित्तीय वर्ष 2015–16 में कार्यान्वयन हेतु सहायक अनुदान मद एवं अन्य मद के रूप में प्रावधानित ₹ 1745.00 लाख की राशि पर अवधि विस्तार/व्यय की स्वीकृति। — 48. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

49. "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना का वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 100.00 लाख रूपये मात्र के अनुमानित वार्षिक व्यय पर अवधि विस्तार की स्वीकृति/व्यय के संबंध में। — 49. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

50. बिहार कौशल विकास के लिये वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू० 19.0456 करोड़ (उन्नीस करोड़ चार लाख छप्पन हजार) मात्र सहायक अनुदान के रूप में बिहार कौशल विकास मिशन को विमुक्त करने के संबंध में। — 50. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

51. संविदा के आधार पर ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन नियोजित कनीय अभियंताओं को सेवाकाल में मृत्यु होने पर एकमुश्त 4,00,000/–(चार लाख) रू० की अनुग्रह अनुदान राशि देने की स्वीकृति। — 51. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

52. पथ निर्माण विभाग के अधीन संविदा पर नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक/यॉत्रिक) की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को एकमुश्त रू० 4,00,000/–(चार लाख रूपये) अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में। — 52. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी)

53. पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीमों के तहत राज्य योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा विशेष शाखा हेतु उच्च स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र, पुलिस थाना भवन एवं अन्य भवनों के निर्माणार्थ नयी योजनाओं की लागत राशि ₹ 7871.374 लाख (अठहत्तर करोड़ इकहत्तर लाख सैंतीस हजार चार सौ रू०) की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों में करने के संबंध में। — 53. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी)

55. केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 की वार्षिक कार्य योजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित गैर योजना मद में ₹ 47.8023 करोड़ की लागत की परियोजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं अनुवर्ती वर्षों में कराये जाने की स्वीकृति एवं केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त केन्द्रांश ₹ 3.7770 करोड़ (तीन करोड़ सतहत्तर लाख सत्तर हजार रू०) मात्र तथा समानुपाती राज्यांश ₹ 2.5220 करोड़ (दो करोड़ बावन लाख बीस हजार रू०) मात्र यानि कुल ₹ 6.2990 करोड़ (छः करोड़ उनतीस लाख नब्बे हजार रू०) की राशि विमुक्ति करने के संबंध में। — 55. स्वीकृत।

कृषि विभाग

56.	कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तकनीकी सहयोग करने हेतु नियोजित कृषि समन्वयकों को अगले 11 माह तक या स्थायी नियुक्ति होने तक जो पहले आये, तब तक के लिए अवधि विस्तार के संबंध में।	56.	**स्वीकृत।**